

क्रमांक:- ज.वि.प्रा/लेखा/ऑडिट/एफ-63/डी- 833

दिनांक:- 29/7/20

कार्यालय आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.12(3) वित्त/अंकेक्षण/ 2017 दिनांक 19.09.2019 तथा 08.06.2020 की अनुपालना में श्री राजीव जैन अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को विभागाध्यक्ष स्तर पर अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित कराने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। दूरभाष विवरण निम्नानुसार है:-

1. कार्यालय:- 0141-2566449
2. मो. नं० :- 9414085447, 7340311555

नोडल अधिकारी अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों की निर्धारित समयावधि में अनुपालना प्रेषण सुनिश्चित करायेंगे।

आयुक्त

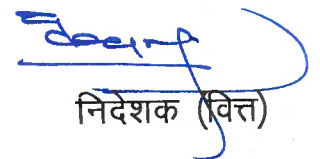
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा/लेखा/ऑडिट/एफ-63/डी-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग राज. जयपुर।
2. सचिव, विधान सभा जनलेखा समिति राज. जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) राज. जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) राज. जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक (वित्त) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. श्री राजीव जैन अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- ✓ 9. कम्प्यूटर एनालिस्ट जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नोडल अधिकारी की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने का श्रम करें।


निदेशक (वित्त)